Government of India (Bharat Sarkar)
Ministry of Railways (Rail Mantralaya)
(Railway Board)

No. 2010/TG-V/72/P/01 **New Delhi, dated 27.01.2017**

Chief Commercial Managers,
All Zonal Railways.

(<u>Commercial Circular No. 11 of 2017</u>)

Sub: Checking of tickets during night time in reserved coaches.

Please refer to this office letter of even No. dated 25.08.2010 (Commercial Circular No. 78 of 2010) on the subject quoted above. The matter has been reviewed and the modified instructions on this account are as under:-

i. Checking staff should be suitably instructed that tickets in reserved coaches should normally be checked between 0600 hours and 2200 hours.

ii. In case of reserved passengers tickets should be checked initially after passengers board the trains to begin their journey.

iii. Bonafide reserved passengers whose tickets have already been examined and verified should not be disturbed between 2200 hours and 0600 hours without a valid reason. However, since the overall responsibility of not permitting any unauthorised passenger in the coach lies with the ticket checking staff, if any unauthorised passenger is found in the coach, this provision cannot be taken as a plea for the same.

iv. Checks can also be made between 2200 hours and 0600 hours in the following circumstances:-

a) In case where train departs from originating station on or after 2200 hours;

b) the passengers who have to perform their journey between 2200 hours and 0600 hours;

c) where tickets have not been checked after boarding.

However, care should be taken by the ticket checking staff that the passengers are not be unduly disturbed during the night time.

रेल मंत्रालय
Ministry of Railways
रेलवे बोर्ड Railway Board
अनुलग्नक सहित जारी
Issued with Enclosure
हस्ताक्षर
Signature....
जारी की तिथि
Date of Issue....

v. Reserved coaches can also be checked between 2200 hours and 0600 hours in case Vigilance Department have any doubt/have sourced information about some suspicious activity/unauthorized carrying of passengers. It may, however, be ensured that it should be done with the least inconvenience to the passengers.

2. It is also clarified that in the year 2010 the last circular No. issued was 66 and the No. 78 to the Circular referred to above was given inadvertently and was not uploaded on the website. However, this circular has been uploaded on the website with the remarks that no circular between 67 and 77 were issued in 2010.

(Vikram Singh)
Director Passenger Marketing
Railway Board

Copy to:

1. CCM/PMs and CCM/PSs, all Zonal Railways.
2. ADG/PR, EDVT, DVT, Railway Board.
3. MD/IRCTC, Bank of Baroda Building, Parliament Street, New Delhi.
4. Dy. Comptroller & Auditor General of India (Railways), Room No. 224, Rail Bhawan, New Delhi.
5. FA&CAO of Indian Railways.
6. Principal Director of Audit, all Indian Railways.
7. General Manager/PRS-I, CRIS, Chanakyapuri, New Delhi.
8. Director General, Professor/Training & Professor/Commercial Railway Staff College, Vadodara.
9. The Principals, Zonal Training Centers, Central Railway, Bhusaval, Eastern Railway, Dhanbad, Northern Railway, Chandausi, NE Railway, Muzaffarpur, NF Railway, Alipurduar, Southern Railway, Trichy, South Central Railway, Maula Ali, SE Railway, Sini, Western Railway, Udaipur.
10. Director, Indian Railway Institute of Transport Management, Hardoi Bypass Road, Manak Nagar, Luknow-2260011.
11. General Secretary, National Federation of Indian Railwaymen (NFIR), 3, Chelmsford Road, New Delhi.
12. General Secretary, All India Railwaymen Federation (AIRF), 4, State Entry Road, New Delhi.
13. Secretary General, Federation of Railway Officers Association (FROA), Room No.370, Rail Bhawan, New Delhi.
14. Secretary General, Indian Railway Promotee Officers Federation (IRPOF), Room No. 268, Rail Bhawan, New Delhi.
15. Secretary General, All India RPF Association, Room No.256-D, Rail Bhawan, New Delhi.
16. CTM, Metro Railway, Metro Rail Bhavan, 33/1, J L Nehru Road, Kolkata-71.

*****

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

सं. 2010/टीजी-V/72/पी/01 **नई दिल्ली, दिनांक 27.01.2017**

मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधक,
सभी क्षेत्रीय रेलें.

(2017 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 11)

विषय: आरक्षित कोचों में रात्रि के दौरान टिकटों की जांच करना।

कृपया उपर्युक्त विषय पर इस कार्यालय के दिनांक 25.08.2010 के समसंख्यक पत्र (2010 का वाणिज्यिक परिपत्र सं. 78) का अवलोकन करें। इस मामले की समीक्षा की गई है और इससे संबंधित आशोधित अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

i. चेकिंग स्टाफ को उपयुक्त रूप से यह अनुदेश दिए जाएं कि सामान्यतौर पर आरक्षित कोचों में टिकटों की जांच 06:00 बजे से 22:00 बजे के बीच की जाए।

ii. आरक्षित यात्रियों के मामले में यात्रियों द्वारा अपनी यात्रा आरंभ करने के लिए गाड़ी में चढ़ने के पश्चात् प्रारंभ में ही टिकटों की जांच की जानी चाहिए।

iii. सदाशयी आरक्षित यात्रियों जिनकी टिकटें पहले ही जांचकर सत्यापित की जा चुकी हैं उन्हें बिना किसी वैध कारण के 22:00 बजे और 06:00 के बीच परेशान नहीं किया जाना चाहिए। बहरहाल, चूंकि कोच में किसी अनाधिकृत यात्री के प्रवेश को रोकने का समग्र दायित्व टिकट चैकिंग स्टाफ का है, इसलिए यदि कोई अनाधिकृत यात्री कोच में यात्रा करता हुआ पाया जाता है तो ऐसे मामले में इस प्रावधान को चैकिंग न करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है।

iv. निम्नलिखित परिस्थितियों में 22:00 बजे से 06:00 बजे के बीच जांच की जा सकती है:-

क) ऐसे मामले में जहां गाड़ी आरंभिक स्टेशन से 22:00 बजे या उसके बाद प्रस्थान करती है।

ख) ऐसे यात्रियों के मामले में जिनकी यात्रा 22:00 बजे से 06:00 बजे के बीच हो।

ग) ऐसे मामलों में जहां गाड़ी में चढ़ने के पश्चात् टिकट की जांच न की गई हो।

बहरहाल, टिकट चैकिंग स्टाफ द्वारा यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि रात्रि के दौरान यात्रियों को अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

CHECKING

v. सतर्कता विभाग को कोई संदेह होने/किसी संदिग्ध गतिविधि/यात्रियों को अनाधिकृत रूप ले जाने की कोई सूचना प्राप्त होने पर, 22:00 बजे से 06:00 बजे के बीच आरक्षित कोचों की भी जांच की जा सकती है। बहरहाल, यह भी सुनिश्चित किया जाए कि यह ऐसे किया जाना चाहिए कि यात्रियों को कम-से-कम असुविधा हो।

2. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्ष 2010 में अंतिम परिपत्र सं. 66 जारी किया गया था और ऊपर संदर्भित परिपत्र को गलती से 78 नम्बर दिया गया था और इसे वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया था। बहरहाल, इस परिपत्र को इस टिप्पणी के साथ वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है कि 2010 में 67 और 77 के बीच कोई परिपत्र जारी नहीं किया गया है।

(विक्रम सिंह)
निदेशक यात्री विपणन
रेलवे बोर्ड

<u>प्रतिलिपि प्रेषित:</u>

1. सीसीएम/पीएम और सीसीएम/पीएस सभी क्षेत्रीय रेलें।
2. एडीजी/पीआर, कार्यपालक निदेशक सतर्कता(टी), निदेशक सतर्कता(टी),
3. प्रबंध निदेशक/आईआरसीटीसी, बैंक ऑफ बड़ौदा बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली।
4. उप नियंत्रक एवं भारत के महा लेखा परीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली।
5. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी, भारतीय रेलें।
6. प्रमुख निदेशक लेखापरीक्षा, सभी भारतीय रेलें।
7. महाप्रबंधक/पीआरएस-I, क्रिस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली।
8. महानिदेशक, प्रोफेसर/ प्रशिक्षण तथा प्रोफेसर/ वाणिज्य रेलवे स्टाफ कॉलेज, वडोदरा।
9. प्रिंसिपल, क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र, मध्य रेलवे/भुसावल, पूर्व रेलवे/धनबाद, उत्तर रेलवे/चंदौसी, पूर्वोत्तर रेलवे/ मुजफ्फरपुर, पूर्वोत्तर सीमा रेलवे/ अलीपुरद्वार, दक्षिण रेलवे/ त्रिची, दक्षिण मध्य रेलवे/मौला अली, दक्षिण पूर्व रेलवे/सिनी, पश्चिम रेलवे/ उदयपुर।
10. निदेशक, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान, हरदोई बाइपास रोड, मानक नगर, लखनऊ- 2260011
11. जनरल सेक्रेटरी, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेन (एनएफआईआर), 3,चेम्सफोर्ड रोड, नई दिल्ली।
12. जनरल सेक्रेटरी, ऑल इंडिया रेलवेमेन फेडरेशन (एआईआरएफ), 4, स्टेट एंट्री रोड, नई दिल्ली।
13. सेक्रेटरी जनरल, फेडरेशन ऑफ रेलवे ऑफिसर्स एसोसिएशन, (फ्रोआ), कमरा नं 370, रेल भवन, नई दिल्ली।
14. सेक्रेटरी जनरल, इंडियन रेलवे प्रमोटी ऑफिसर्स फेडरेशन, (आईआरपीओएफ), कमरा नं 268, रेल भवन, नई दिल्ली।
15. सेक्रेटरी जनरल, ऑल इंडिया आरपीएफ एसोसिएशन, कमरा नं 256- डी, रेल भवन, नई दिल्ली।
16. सीटीएम, मेट्रो रेलवे, मैट्रो रेल भवन, 33/1, जे एल नेहरू रोड, कोलकाता-71.

******

CHECKING